रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2011/चैत्र 3, 1933
No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2011/CHAITRA 3, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2011

सा.का.नि. 251(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (क) और खंड (ग) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा, सहायक ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सुसंगत तारीख" से उन रिक्तियों के लिए जिनके लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है, वर्ष की प्रथम जुलाई अभिप्रेत है;

(ख) "परीक्षा" से सहायक ग्रेड के लिए चयन सूची में परिवर्धन करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) "चयन" से सहायक ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित किया जाना अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग" से कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "संवर्ग प्रशिक्षण योजना" से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न स्तरों पर विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;

(च) "नियमित अधिकारी" से केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक में नियमित आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1962 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उस श्रेणी के लिए चयन सूची में सम्मिलित किया गया है;

(छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः है ।

(2) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और उनमें परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में हैं ।

3. **परीक्षा आयोजित करना.**—(1) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसरण में किया जाएगा ।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट परीक्षा के लिए तारीख, स्थान और संख्या वे होंगी, जो आयोग द्वारा अवधारित की जाएं ।

4. **पात्रता की शर्तें.**—केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड में कोई अधिकारी, जिसने सुसंगत तारीख को उस ग्रेड में छः वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा की है, परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा ।

5. **पात्रता के बारे में विनिश्चय.**—(1) आयोग परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में विनिश्चय करेगा ।

(2) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा ऊपर उप-विनियम (1) के अधीन कोई प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

6. **परिणाम.**—(1) ऐसे अभ्यर्थियों के नाम जिन पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त होने के लिए विचार किया गया है, गुणागुण के अनुक्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे और अपेक्षित रिक्तियों की संख्या तक उस क्रम में चयन के लिए सिफारिश की जाएगी ।

(2) व्यष्टिक अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना का प्ररूप और रीति वह होगी, जो आयोग द्वारा अवधारित की जाए।

7. **चयन.**—(1) लिखित परीक्षा में सफलता अभ्यर्थी को चयन के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार का ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो गया हो कि अभ्यर्थी को सेवा में उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे चयन के लिए सभी बाबत उपयुक्त न पाया गया हो ।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) में यथाउपबंधित के सिवाय, किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन, आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों के गुणागुण क्रम में अपेक्षित सीमा तक आरक्षण नीति और इस निमित्त समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

8. **कदाचार के लिए शास्ति.**—(1) ऐसा अभ्यर्थी, जो निम्नलिखित का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है,–

(क) किन्हीं साधनों द्वारा अपने अभ्यर्थता होने के लिए समर्थन अभिप्राप्त करना; या

(ख) प्रतिरूपण करना; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिररूपण उपाप्त करना; या

(घ) कूटरचित दस्तावेज या दस्तावेजें प्रस्तुत करना जिनसे छेड़छाड़ की गई है; या

(ङ) ऐसा कथन करना जो गलत या मिथ्या है या सारवान जानकारी को छिपाना; या

(च) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थता के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधन द्वारा कोई कार्य करना; या

(छ) परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना; या

(ज) परीक्षा में दुर्व्यवहार करना; या

(झ) यथास्थिति, अनुगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी कृत्यों या उनमें से किन्हीं को करने का प्रयत्न करना या प्रयत्न करने के लिए दुष्प्रेरित करना;

दांडिक अभियोजन के लिए स्वयं को दायी बनाने के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए दायी होगा,—

(अ) (i) उक्त परीक्षा में भाग लेने से आयोग द्वारा अनर्हित होने; या

(ii) आयोग द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट स्थायी रूप से या किसी अवधि के लिए उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या चयन से वर्जित करने; और

(आ) आयोग की सिफारिश पर समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के लिए ।

[फा. सं. 1/2/2009-सीएस. I (पी)]
राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2011

G.S.R. 251(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in pursuance of clause (a) and (c) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, the President hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Service Assistants' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires.—

(a) "relevant date" means the first day of July of the year for the vacancies of which such examination is held;

(b) "examination" means the Limited Departmental Competitive Examination held by the Staff Selection Commission for making additions to the Select List for the Assistants' Grade;

(c) "selection" means inclusion in the Select List for the Assistants' Grade;

(d) "Commission" means the Staff Selection Commission;

(e) "Cadre Training Plan" means training courses prescribed at different levels of Central Secretariat Service;

(f)"regular officer" means a person appointed on regular basis in Upper Division Grade of Central Secretariat Clerical Service, on being included

in the Select List for that Grade, in accordance with the procedure prescribed in Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962;

(g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution of India.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Central Secretariat Service Rules, 2009.

3. **Holding of the examination.**—(1) The examination shall be conducted by the Staff Selection Commission in pursuance to the notification issued in this regard.

(2) The dates, places and the manner for the examination referred to in sub-regulation (1) shall be such as may be determined by the Commission.

4. **Conditions of eligibility.**—Any officer in Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, who, on the relevant date, has rendered not less than six years approved service in the Grade, shall be eligible to appear at the examination.

5. **Decision as to eligibility.**—(1) The Commission shall decide as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination.

(2) No candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission under sub-regulation (1) above shall be admitted to the examination.

6. **Results.**—(1) The names of the candidates who have been considered by the Commission to be suitable for selection on the basis of results of examinations held, shall be arranged in the order of merit and be recommended for selection in that order upto the required number of vacancies.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be as determined by the Commission.

7. **Selection.**—(1) Success in the written examination shall confer no right to the candidate to the selection unless the Central Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is found suitable in all respects for such selection.

(2) Save as provided in sub-regulation (1) of this regulation, the selection on the basis of results of any examination shall be made to the extent required in the order of merit of the candidates recommended by the Commission for selection, subject to the reservation policy and in accordance with the orders issued by the Central Government in this behalf from time to time.

8. **Penalty for misconduct.**—(1) A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of,—

(a) obtaining support for his candidature by any means; or

(b) impersonating; or

(c) procuring impersonation by any person; or

(d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(e) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(f)r esorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(g) using unfair means in the examination; or

(h) misbehaving in the examination; or

(i) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

shall in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(A) (i) to be disqualified by the Commission from appearing in the said examination; or

(ii) to be debarred either permanently or for a period so specified by the Commission from any examination or selection held by it; and

(B) to disciplinary action under the appropriate rules on the recommendation of the Commission.

[F. No. 1/2/2009-CS. 1 (P)]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.